

139/2005


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

06/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, पाया कि प्रकरण विगत 10 वर्ष से अधिक समय से प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान की तलबी में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन पर्याप्ततम अवसर दिये जाने के उपरांत भी आदिनांक तक सम्मन तामीली नहीं करवाई गई है, ऐसी सूरत में वादीगण को आगे ओर अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा वादीगण का वाद सम्मन तलबाना पेश नहीं किए जाने के अभाव के कारण वादीगण का वाद आदेश 09 नियम 02 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

06/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, पाया कि प्रकरण विगत 10 वर्ष से अधिक समय से प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान की तलबी में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन पर्याप्ततम अवसर दिये जाने के उपरांत भी आदिनांक तक सम्मन तामीली नहीं करवाई गई है, ऐसी सूरत में वादीगण को आगे ओर अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा वादीगण का वाद सम्मन तलबाना पेश नहीं किए जाने के अभाव के कारण वादीगण का वाद आदेश 09 नियम 02 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा